

परिपत्र

रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/पर्यवेक्षी परिपत्र सं. 4/2020-21
09 अप्रैल, 2021

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

**कोविड-19 के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया
कोविड-19 के लिए अभियान : उचित व्यवहार के संबंध में**

कृपया उक्त विषय पर हमारे परिपत्र रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/पर्यवेक्षी परिपत्र सं. 2/2020-21 दिनांकित 26 अक्तूबर, 2020 का सन्दर्भ लें।

2. भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 04 अप्रैल, 2021 को देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों की गंभीर स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उभरते संकट से निपटने के लिए पांच-आयामी रणनीति जैसे - परीक्षण, अनुरेखण, उपचार, कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है। कम लागत का जनजागरूकता अभियान जो कि कोविड -19 पर उचित व्यवहार पर केंद्रित है जिसका मुख्य फोकस 'दवाई भी कड़ाई भी' है, द्वारा जनमानस को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए जागरूक करने, सामाजिक दूरी का पालन करने, हाथ बार-बार धोने आदि को बैनर/पोस्टर के द्वारा प्रदर्शित करने से, एसएमएस/ईमेल के माध्यम से संदेश प्रेषित करने से एवं अधिकारियों द्वारा से पारस्परिक संचार के माध्यम आदि से लोगों के बीच जनजागरूकता फैलेगी।

3. तदनुसार, आपको क्षेत्रीय भाषाओं में इस संदेश का व्यापक प्रचार करने की सलाह दी जाती है।

4. समन्वित तरीके से अभियान को बढ़ाने के लिए, आउटरीच गतिविधियों की फ़ोटोग्राफ़्स और बैनर/पोस्टर के प्रदर्शन को # Unite2FightCorona और #NHB के साथ ट्वीट किया जा सकता है।

5. उपरोक्त के संबंध में की गयी कार्रवाई के विषय में पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक को दिनांक 16 अप्रैल, 2021 तक सूचित किया जा सकता है।

ह/-

(विनीत सिंघल)

महाप्रबंधक

पर्यवेक्षण विभाग